न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सिद्धार्थ पालानीचामी, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
उगम कंवर पुत्री श्री रतन सिंह पत्नि श्री धुकसिंह, जाति राव, निवासी कारोली, तहसील देलदर व अन्य – 1		शांता कुंवर पत्नि श्री माधोसिंह, जाति राव, निवासी कारोली, तहसील देलदर व अन्य – 4

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2020

दिनांक 21.09.2023

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि मौजा गांव कारोली पटवार हल्का आमथला में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 से 04 के पिता रतन सिंह के कब्जे खातेदारी की पुराने खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषिभूमि स्थित है जिसका नया खसरा संख्या 325/1 व नया नाप 06 बीघा 08 बिश्वा है। कि उक्त पुराने खसरा संख्या 237 की भूमि का कुल रकबा 64 बीघा 11 बिश्वा था जिसमें से 10 बीघा भूमि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, आबूपर्वत ने दिनांक 27.04.1966 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पिता रतनसिंह पुत्र आईदानसिंह को आवंटित की थी और वर्ष 1966 में ही आवंटितशुदा भूमि का कब्जा भी प्रार्थीगण के पिता को प्रदान कर दिया गया था तब से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता व उनके पूरे परिवारजन का कब्जा आधिपत्य व कृषिकाश्त रहा है जिस पर प्रार्थीगण के पिता ने कुंआ भी खुदवाया हुआ है। कि उक्त खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषिभूमि प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह को आवंटित होने के बाद वक्त सेंटलमेंन्ट भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने नये राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज के समय उक्त आवंटितशुदा भूमि का अलग खसरा नंबर 325/1 दर्ज कर राजस्व नक्शे में तो अंकन कर दिया था किन्तु भूल या चुकवश उस अलग दर्ज किये खसरा नंबर 325/1 के राजस्व रिकॉर्ड जमांबदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज करना रह गया था जिस बाबत् प्रार्थीगण के पिता ने उनके जीवनकाल में उक्त गलती सुधारकर जमांबदी में भी उनका नाम दर्ज करने हेतु कानुनी कार्यवाही की थी किन्तु उन कार्यवाहियों के विचाराधीन रहते ही प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह का निधन हो गया था। कि उक्त पुराने खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषिभूमि जिसका नया खसरा संख्या 325/1 व नया नाप 06 बीघा 08 बिश्वा है की भूमि उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है जिस कारण दोनो प्रार्थीगण का भी उपरोक्त कृषिभूमि में संयुक्त रूप से 1/2 खातेदारी हक हिस्सा हैं और उस कारण अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की जिस पॉवर ऑफ अटोर्नी का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 12 जनवरी 2004 को विक्रय विलेख का निष्पादन कर दिनांक 13 जनवरी 2004 को उसका पंजीयन कराया गया हैं वह विक्रय विलेख दिनांक 12/13–01–2004 प्रार्थीगण के हक हिस्से तक अवैध व प्रारम्भतः शुन्य होने से प्रार्थीगण पर प्रभावहीन हैं जिससे अप्रार्थी संख्या 01 को कोई हक अधिकार उपरोक्त भूमि बाबत् प्रार्थीगण के [illegible] है। कि प्रार्थीगण स्व. रतनसिंह की जायन्दा पुत्रीयां व विधिक उत्तराधिकारीणी हैं जिनका [illegible] उक्त भूमि पर रतनसिंह के वारिसान के रूप में खातेदार की हैसियत से कब्जा [illegible] है जिस कारण वादवर्णित मौजा गांव कारोली, पटवार हल्का आमथला के नये खसरा संख्या 325/1 की 06 बीघा 08 बिश्वा वादग्रस्त कृषिभूमि की प्रार्थीगण भी खातेदार कृषक है और दोनो प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से उक्त भूमि में [illegible] खातेदारी हक हिस्सा बनता है जिस कारण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु व अपने हिस्से की भूमि का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थीगण ने वाद पेश किया हैं। कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थना पत्र वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम करोली के खसरा संख्या 325/1 की 06 बीघा 08 बिश्वा कृषिभूमि को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को विकय, रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested

या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित व परिवर्तित नही करें और ना करावें इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिये उसके पावर ऑफ एटर्नी होल्डर अप्रार्थी सं. 2 एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर कथन किया कि गांव करोली, पटवार हल्का आमथला में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पिता रतन सिंह के कब्जे खातेदारी खसरा संख्या 325/1 नाप 06 बिघा 08 बिश्वा की वर्तमान में कृषि भूमि नही है। खसरा संख्या 325/1 नाप 06 बिघा 08 बिश्वा कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पिता रतनसिंह के गांव कारोली छोड़कर अन्य गांव कैलाशनगर करीब सन् 1968 से चले जाने के करीब 23 वर्ष बाद अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अप्रार्थी सं. 2 को भीनमाल बुलाकर आम मुख्तयारनामा तैयार कर उप पंजियक अधिकारी भीनमाल के समक्ष दिनांक 14.9.1992 को पंजियन करवा कर अप्रार्थी सं. 2 को सुपर्द किया था। कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के पद सं. 7 में दर्शित कथनानुसार प्रार्थीगण को करीब 27 वर्ष पूर्व सन् 1993 से यह अच्छी तरह से ज्ञान में था कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा पावर ऑफ एटर्नी होल्डर के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 को नियुक्त किया गया है। कि अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को प्रदान पंजीकृत पावर ऑफ एटर्नी के पद सं. 4 में स्पष्ट रूप से कृषि भूमि को विक्रय, रेहन एवं हस्तान्तरित करने अप्रार्थी सं. 2 को अधिकृत किया गया होने से अप्रार्थी सं. 2 द्वारा पंजीकृत पावर ऑफ एटर्नी के पद सं. 4 में अंकत कथनानुसार एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को बार बार उक्त कृषि भूमि को बेचान कर देने का कहे जाने पर अप्रार्थी सं. 2 ने बेचान प्रतिफल की राशि अप्रार्थी सं. 3 व 4 को अदा कर सन् 2004 में अपनी पत्नि अप्रार्थी सं. 1 के नाम बेचान कर दिया तब से अप्रार्थी सं. 1 विधिक प्राधिकार से वर्तमान तक उक्त कृषि भूमि पर कब्जे काश्त में है। कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा कृषि भूमि को छोड़कर कर चले जाने पर विवादित कृषि भूमि राजस्व भूमि होने पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा होने पर धारा 91 के तहत अप्रार्थी सं. 2 को तहसीलदार आबूरोड़ द्वारा नोटिस जारी किये गये है उक्त राजस्व भूमि पर प्रार्थीगण जो अपने ससुराल जिला जलौर में निवास कर रही थी का संयुक्त कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, न ही प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार विधिक रूप से हक हिस्सा बनता है क्योंकि राजकीय भूमि पर अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत् वाद पेश किया गया था उक्त कृषि भूमि के अप्रार्थी सं. 3 व 4 ही पूर्णरूपेण स्वामी थे इस प्रकार उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण बतौर रतनसिंह के वारिसान किसी भी प्रकार के विधिक रूप से हक अधिकार प्राप्त करने अधिकृत ही नही होने से वाद खारिज योग्य है। कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण कृषि भूमि पर काबिज काश्त नही है न ही प्रार्थीगण खातेदार कृषक है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह वाद अप्रार्थी सं. 1 व 2 को बेदखली के विरूद्ध राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार परिपोषणीय न होने से खारिज योग्य है। कि प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का पद सं. 10,11,12,13 व 14 के सम्पूर्ण अभिवचन से दर्शित है कि अप्रार्थी सं. 2 ने पावर ऑफ एटर्नी का दुरूपयोग कर धोखे से विक्रय का दिया है तथा प्रार्थीगण ने वादपत्र के अंतिम पद अनुतोष में प्रथम मुख्य अनुतोष भी यह चाहा है कि " प्रार्थीगण के हक हिस्से तक किये गये विक्रय विलेख को अवैध व शुन्य घोषित करें।" प्रार्थीगण के वादपत्र के अभिवचन एवं मुख्य अनुतोष विक्रय विलेख को अवैध व शुन्य घोषित करवाने का है उक्त अनुतोष स्पष्टतः ऐसा अनुतोष है जो केवल सिवि[illegible]णीय है अतः प्रार्थीगण का वाद विक्रय विलेख को अवैध व शुन्य घोषित करवाने का ह[illegible]ान के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में न आने से खारिज योग्य है। कि प्रार्थीगण [illegible] उक्त कृषि भूमि को छोड़कर दुसरे गांव चले जाने पर मौके पर काबिज क[illegible] कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी अधिकार का अवसान राज.काश्त[illegible]तहत हो चुका था तथा विवादित कृषि भूमि राजस्व भूमि रही है, प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर पिता रतनसिंह के वारिसान के रूप में बतौर खातेदार हक हिस्सा होने का प्रश्न ही नही होता है न ही प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु व अपने हिस्से की भूमि का कब्जा प्राप्ति हेतु यह वाद पेश करने अधिकृत है अतः वाद खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 का जवाब दिनांक 20.07.2022 को बंद किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम कारोली पटवार क्षेत्र आमथला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील देलदर में पुराने खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषि भूमि । हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के अनुसार उनका हक रपष्ट नही हो रहा है बल्कि अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। पुराने कब्जे को साबित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया है। अतः है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हो रहा है।
2. सुविधा का संतुलन :– मौजा कारोली पटवार क्षेत्र आमथला में खसरा संख्या 325/1 नाप 06 बीघा 08 बिश्वा में अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः रेकर्ड के आधार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रहें।
3. अपूर्तनीय क्षति :– चूंकि वर्तमान में उक्त विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थीगण से हो यह साबित में प्रार्थीगण असफल रहें है।

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested